उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल,

अपील आदेश संख्या 558/2019

श्रीमती मिताली शाह...अपीलार्थी।

बनाम

श्रीमती शैफाली शाह और अन्य ....उत्तरदाता।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता– श्री सिद्धार्थ शाह।

माननीय शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश (मौखिक)

वर्तमान अपील चतुर्थ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 180/2019 श्रीमती मिताली शाह बनाम श्रीमती शैफाली शाह व एक अन्य में दिनांक 24.09.2019 को भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 384 के अन्तर्गत पारित आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही, जो कि अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित की गयी थी, को खारिज किया गया था।

2. यदि आक्षेपित निर्णय को विचार में लिया जाता है, तो वास्तव में आवेदन, जो कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वो इस प्रभाव तक था कि अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 का आहवाहन श्रीमती निर्मला शाह उर्फ नलिनी शाह, एवं श्री चिरंजी लाल शाह के बैंक लॉकर जो कि भारतीय स्टेट बैंक जिला देहरादून में थे, को संचालित करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया था।

3. मुख्य रूप से दिनांक 24.09.2019 के विवादित आदेश द्वारा, न्यायालय ने विपक्षी द्वारा उनके आवेदन, में कोई आपत्ति नहीं करने पर विचार करने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया है, जो कि कागज संख्या 15(बी) (2) है और छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के एआईआर (2007) छत्तीसगढ पृष्ठ 36, ''विमला देवी बनाम शोभा वालिया व अन्य'' में रिपोर्ट किये गये अनुपात को ध्यान में रखते हुए अवर न्यायालय द्वारा भरोसा किये गये न्यायिक उदाहरणों का संदर्भ देते हुए, साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय द्व ारा एआईआर 1982 कलकत्ता (92) ''स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम नेताजी चन्द पोरल'' में रिपोर्ट किये गये एक फैसले में निर्धारित अनुपात पर विचार करते हुए, बल्कि यह निर्धारित किया गया था कि जहॉ तक उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अधीन अंर्तविष्ट उपबन्धों का सम्बन्ध है, चूंकि अधिनियम की धारा 370 को अधिनियम की धारा 372 के साथ पढा जाना चाहिए, जो मृतक व्यक्ति की सम्पदा के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रार्थना पत्र पर विचार करने पर चिंतन करती है, जिसे सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसके कुछ अपवाद हैं, जो स्वतः निहित है, जैसा कि अधिनियम की धारा 370 के तहत बनाया गया है। अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (2) द्वारा कवर की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दने का प्रतिबंध,

केवल उन्हीं स्थितियों में लागू होगा, जो उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के भाग 10 में लागू होंगे। निर्णय का प्रासांगिक पैराग्राफ संख्या 6 निम्न प्रकार है–

''6. विद्वान न्यायाधीश और हमारे सामने विरोधी पक्ष द्वारा भरोसा किया गया निर्णय भी बिन्दु पर नहीं है, कुंभ मेला त्रासदी के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गयी और उसके शरीर पर पाये गये आभूषणों को जिला अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया। उसी के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के एक आवेदन पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आभूषणों की वापसी आधिकारियों पर एक दायित्व बन गयी थी कि वह या तो उन्हीं आभूषणों को या उनके मूल्य को सही दावेदार को सौंप दें और इस तरह के दायित्व के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन मांगा जा सकता था और मंजूर किया जा सकता था। हांलाकि हम इस तरह के व्यापक प्रस्ताव से सहमत हाने में असमर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देय कोई भी दायित्व, चाहे वह नकद में हो या किसी प्रकार का, सुरक्षित या असुरक्षित, चाहे वह निश्चित हो या अनिश्चित, चाहे वह किसी भी दायित्व से उत्पन्न हो, ऋण है। विशेष मामले में हालांकि तथ्य भी अलग थे, वह मृतक नहीं था जिसने अपने आभूषण जिला अधिकारियों के पास रखे थे, बल्कि जिला अधिकाारियों ने स्वयं ही उनके आभूषण एकत्र किये थे और इस प्रकार सही दावेदार को उन्हें वापस करने का दायित्व वहन किया था। मामले का यह पहलू मामले को हमारे सामने मामले के तथ्यों से अलग करता है। यहॉ मृतक जुथिकावाला ने स्वयं ही सुरक्षित अभिरक्षा के लिए इस बैंक में सामान जमा किया था, उसके पास किसी भी समय जाकर इसे लेने का विकल्प था। बैंक केवल उसका संरक्षक था। साधारण भाषा में ऋण का अर्थ होता है, एक व्यक्ति, जिसे देनदार कहा जाता है, से दूसरे को, जिसे लेनदार कहा जाता है, देय निश्चित राशि। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश में ऋण को कार्यवाही द्वारा वसूली योग्य परिसमापन धन मांग के सम्बन्ध में देय धनराशि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण के आवश्यक तत्वों में एक निश्चित धनराशि या आसानी से गणना की जाने वाली धनराशि है। उस अर्थ में भारतीय स्टेट बैंक को इस मामले में देनदार की स्थिति में नहीं कहा जा सकता था और न ही जुथिकावाला को आभूषणों के सम्बन्ध में लेनदार कहा जा सकता था। लेकिन इसके अलावा अधिक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ऋण के मामलों के विपरीत, बैंक को उन आभूषणों के संबंध के किसी भी प्रकार के निपटान का कोई अधिकार नहीं था। बैंक एक बेली या ट्रस्टी के पद पर खडा था, जिसे कब्जा सौंपा गया था, लेकिन स्वामित्व को स्थानांतरित करने का कोई आशय नहीं था। यह स्थापित कानून है कि ऋण न्यास नहीं है और कोई भी और प्रत्येक दायित्व, चाहे उसका वास्तविक और कानूनी स्वरूप कुछ भी हो, ऋण नहीं बन जाता है। चूंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल ऋणों

और प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में दिया जा सकता है और किसी भी अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिए नहीं, अतः हमारी राय है कि इस मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आसाम बंगाल रेलवे कम्पनी बनाम अतुल चन्द्र मनु/डब्लूबी/0027/1937 मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। अतः उसी अनुदान के लिए आवेदन विचारणीय नहीं था।''

4. छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने अपने एआईआर (2007) छत्तीसगढ पृष्ठ 36 के निर्णय के पैरा 5, 6, 7 में निर्धारित किया है कि चूंकि अधिनियम की धारा 370 के अन्तर्गत ''बैंक लॉकर्स'' प्रतिभूतियों में से एक के रूप में नहीं आते हैं, जिन पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के प्रयोजनों के लिए विचार किया जा सकता है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भी समान सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं जिसमें निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 370, चूंकि बैंक में रखे लॉकरों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने पर विचार करने के लिए अपनी सीमा का विस्तार नहीं करता है। इसलिए आवेदक के पक्ष में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता हैं। निर्णय के प्रासांगिक पैराग्राफ संख्या 5, 6 एवं 7 निम्न हैः–

''5. अधिनियम के भाग **10** में निहित प्रावधानों को समस्त रूप से पढने से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि न्यायालय के पास केवल किसी भी ऋण या प्रतिभूति के सम्बन्ध में ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है।

6. प्रतिभूति को अधिनियम की धारा 370(2) में सूचीबद्ध किया गया है बैंक लॉकर्स तक पहुॅच और उसके अंदर रखे गहने, अधिनियम की धारा 370(2) में दी गयी सूची में नहीं आते हैं।

7. यह सुस्थापति विधि है कि धन की एक राशि जो निश्चित रूप में और सभी मामलों में देय है, ऋण है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह अभी या भविष्य में देय है। लॉकर और उसके अंदर रखे गहनों तक पहुॅच ऋण की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मैं इस राय का हूॅ कि बैंक लॉकर तक पहुचने के लिए या लॉकर के अंदर रखे गये आभूषणों को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता अधिनियम की धारा 370 द्वारा परिकल्पित नहीं है, इसलिए बैंक लॉकर या बैंक के लॉकर में पडी वस्तुओं तक पहुॅच के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है।''

5. आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील दिनांक 14.12.2019 को प्रस्तुत की गयी थी। उत्तरदाताओं को आदेश दिनांकित 16.12.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। पैरवी की गयी थी एवं कार्यालय आख्या प्राप्त हुई कि उत्तरदाता संख्या 1 व 2 को कमशः उनकी बेटी व पत्नी के माध्यम से नोटिस की तामील हुई, परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी, वे उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात दिनांक 28.03.2022 को आदेश से अपील स्वीकार करने के बाद नये नोटिस जारी किए गये थे और फिर से कार्यालय की रिपोर्ट थी कि उत्तरदाता संख्या 1 व 2 को नोटिस की व्यक्तिगत रूप से तामील रही।

दूसरी बार नोटिस की तामील के बावजूद, उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः न्यायालय के पास दिनांक 14.06.2022 को, प्रतिवादियों के खिलाफ एक पक्षीय आदेश से अपील की सुनवाई के लिए आगे बढने का एक आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अतः आदेश से वर्तमान अपील को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने गुण–दोष के आधार पर सम्बोधित किया जा रहा हैं।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उस तर्क में अंतर करने का प्रयास किया था, जो वर्तमान आवेदक/अपीलार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने वाले आक्षेपित/विवादित आदेश में दिया गया है कि अपवादों को देखते हुए अधिनियम की धारा 370 के अन्तर्गत ''लॉकर'' उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के अन्तर्गत परिभाषित और निहित प्रतिभूति की परिभाषा के दायरे में नहीं आयेगें। इसलिए कोई उत्तराधिकार नहीं दिया जा सकता था।

7. इसके उत्तर में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक निर्णय शरद चोपडा और अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक एआईआर 1997 एमपी पृष्ठ 197 का संदर्भ दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के निहितार्थ के सम्बन्ध में लगभग समान सिद्धांतों को दोहराया है। अब तक यह लॉकरों के संचालन के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने को सीमित करता है, क्योंकि लॉकरों को अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (2) के तहत आने वाली प्रतिभूति नहीं माना गया है। प्रासांगिक पैराग्राफ संख्या 8 व 9 निम्नलिखित है–

> ''8. मेरा विचार है कि कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है। यह केवल सही नहीं है बल्कि यह एक उचित दृष्टिकोण है ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और ग्राहक के उत्तराधिकारियों को लॉकरों तक आसान पहुॅच प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। ये दिशा निर्देश जैसे उपर प्रस्तुत किये गये हैं बैंकों के हितों की भी रक्षा करते हैं। वर्तमान मामले में जहॉ तक एस.एल.चोपडा के उत्तराधिकारियों की पहचान का सम्बन्ध है, उसमें कोई विवाद नहीं है। उनके छः उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक साथ शामिल हुए। याचिकाकर्ता के रूप में आने वाले छः उत्तराधिकारियों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिये जाने पर किसी अन्य व्यक्ति ने आपत्ति नहीं जताई। इस प्रकार श्री एस.एल.चोपडा के उत्तराधिकारियों और दावेदारों के सम्बन्ध में बैंक की आपेक्षित संतुष्टि को इस एकल कारक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, ये याचिकाकर्ता उपर दिये गये नियमों ओर शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है।
>
> 9. तद्नुसार मेरा विचार है कि बैंक के लॉकर में रखी वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता भारतीय उत्तराधिकार

अधिनियम की धारा 370 द्वारा प्रकल्पित नहीं है। इसके लिए मैं कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय के विचारों का पालन करूंगा। यह दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आर्दश रतन (कर्नल) बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जलन्धर मनु/डब्लूबी/0027/1937 के मामले में पारित निर्णय द्वारा समर्थित है। उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है और यदि कोई विवाद है तो पक्षकार सिविल न्यायालय में जाकर मामले को सुलझा सकते हैं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इंगित आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पहले से मौजूद है। श्री एस.एल.चोपडा के उत्तराधिकारियों की पहचान विधिवत स्थापित एवं चिहिन्त है। मामले के इस दृष्टिकोण में, भले ही अवर न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि बैंक के लॉकर में पडी वस्तुओं के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उचित ठहराया जाता है। फिर भी बैंक को उनके द्वारा बनाए गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वस्तुओं को निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता हैं।''

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पैरा 9 की विषय वस्तु की ओर आकृर्षित किया है, जिसके आधार पर, वह यह भेद करने का प्रयास करते हैं कि झारखण्ड उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय का अनुपात जिसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने के आपेक्षित आदेश द्वारा विचार में लिया गया है। पैरा 9 में की गयी टिप्पणियों के अपवाद में होगा, जो कि उपर लिया गया है।

9. वास्तव में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को 1949 के बैंकिग विनियमन अधिनियम संख्या 10 के अधीन अंतर्विष्ट उपबन्धों की सम्पूर्णता में और उसके सामंजस्य पूर्ण निर्वचन पर पढा जाता है, और यदि इसे उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढा जाना है, तो वास्तव में लॉकरों के संचालन के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45ZF के अधीन उपबंधों के अन्तर्गत आयेगा। चूंकि यह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत कवर नहीं किया जायेगा। इसलिए अपवाद, जो पैरा संख्या 9 के संदर्भ के आधार पर तर्क दिया गया है, अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होगा। क्योंकि यदि पैराग्राफ संख्या 9 को ही इसकी समग्रता में पढा जाता है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ–साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि बैंक लॉकरों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत शामिल करने की परिकल्पना नहीं की गयी है और उन्हीं सिद्धांतों का पालन करने के लिए दोहराया गया है, लेकिन अगर पैराग्राफ संख्या 9 के समापन भाग को विचार में रखा जाता है,

तो यह फिर से एक अपवाद था क्योंकि इस मामले में पूर्व से आस्तित्व में एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था, जो पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किया गया था, जो यहाँ एक मामला नहीं है।

10. उस स्थिति में, जब विभिन्न उच्च न्यायालयों की समन्वित पीठों द्वारा लगातार यह देखा गया है कि अधिनियम की धारा 370 राष्ट्रीयकृत बैंकों में मौजूद लॉकरों को इसके दायरों में नहीं लाती है। उस स्थिति में, आवेदक को सिविल न्यायालय जाने का उपाय मिला है या बैंकिग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने के आधार पर, जो कि 45ZF तहत निहित है, मुझे प्रश्नगत आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है। इसलिए अवर न्यायालय द्वारा मृतक के लॉकरों के संचालन के उददेश्यों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करना सही था, क्योंकि यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत नहीं आता है।

11. परन्तु ऐसा कहने के पश्चात और शरद चोपडा (सुप्रा) के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 9 में की गयी टिप्पणियों को दोहराते हुए, यह खुला छोड दिया जाता है कि अपीलार्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह मृतक के बैंक लॉकरों में पडी वस्तुओं के कब्जे के दावे के लिए या तो मृतक के लॉकरों को संचालित करने में समर्थ बनाने के लिए डिक्री प्राप्त करने के लिए सिविल कार्यवाही का सहारा ले या वह बैंकिग विनियमन अधिनियम की धारा 45ZF के तहत कार्यवाही का सहारा ले सकती है, बशर्ते कि बैकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रदान की गयी प्रक्रियाओं की पूर्ति हो।

12. उपरोक्त अपवादों के साथ आदेश की अपील खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायामूर्ति)

16.08.2022